राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

2024/112

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	64/24	14/3/2024	[illegible] 01/5/24	21/3/2024

अनवान

श्री जगदीराम s/o हरजी जाति भील   श्री प्रभुलाल s/o गुलाब जाति भील

निवासी रावतपुरा तह. रावतभाटा (चित्तोड़गढ़)   निवासी तिलस्वा तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट   अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार   मदयून

श्री मुकेश कु० धाकड़   श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

: बगदीराम बनाम प्रभुलाल

किस्म मुकदमा – 111–128 नम्बर 64/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/3/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 21/3/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
21/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते उचित आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण को बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली में एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश आगामी दिनांक 01/05/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	
01/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय/आदेश पारित किए गए। पत्रावली में पालना के लिए तहसीलदार, बिजौलिया को लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 14/3/24

प्रकरण संख्या :– 64/24

बगदीराम पुत्र हरजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

......................प्रार्थी

बनाम

1. प्रभुलाल पुत्र गुलाब जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रुपादेवी पत्नि अमरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. अमरा पुत्र रुपा जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मोतीलाल पुत्र चन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 01/05/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश धाकड़ एडवोकेट** द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम कोयलाकुण्ड़ी पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 2 पर अंकित आराजी संख्या 158/127 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, ईसी मौजा ग्राम मे खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 154/95 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खाता 48 पर अंकित आराजी संख्या 139/96 रकबा 0.1943 हैक्टेयर, खाता संख्या 69 पर अंकित आराजी संख्या 157/141 रकबा 0.1943 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित **मौजा ग्राम कोयलाकुण्ड़ी** पटवार हल्का तिलस्वां **तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 2 पर अंकित आराजी संख्या 158/127 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, ईसी मौजा ग्राम मे खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 154/95 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खाता 48 पर अंकित आराजी संख्या 139/96 रकबा 0.1943 हैक्टेयर, खाता संख्या 69 पर अंकित आराजी संख्या 157/141 रकबा 0.1943 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया.

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 64/24 तारीख दायर 14/03/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......64....................../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

बगदीराम पुत्र हरजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

......................प्रार्थी

बनाम

1. प्रभुलाल पुत्र गुलाब जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रुपादेवी पत्नि अमरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. अमरा पुत्र रुपा जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मोतीलाल पुत्र चन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम कोयलाकुण्डी पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 2 पर अंकित आराजी संख्या 158 / 127 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, ईसी मौजा ग्राम मे खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 154 / 95 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खाता 48 पर अंकित आराजी संख्या 139 / 96 रकबा 0.1943 हैक्टेयर, खाता संख्या 69 पर अंकित आराजी संख्या 157 / 141 रकबा 0.1943 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एंव कमिशनर फीस नियमानुसार वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)